

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****विशेष अपील संख्या - 396/2025**

प्रमुख सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश

राज्य,और

एक

अन्य

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

श्रीमती सरिता सिंह और अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: संजय कुमार सिंह, समीर

कालिया,

श्रीदीप चटर्जी

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय,

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय,

1. राज्य-अपीलकर्ताओं के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री समीर कालिया, जिनकी सहायता श्री श्रीदीप चटर्जी और मोहम्मद शमीम रिजवी ने की, को सुना।
2. यह अपील राज्य द्वारा रिट याचिका संख्या 14277(एस/एस)/2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.06.2016 तथा समीक्षा आवेदन में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को खनिज मोहरिर (तृतीय श्रेणी का पद), ड्राइवर और चपरासी के पदों पर नियमित भर्ती होने तक एक सेवा प्रदाता के माध्यम से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। वास्तव में, खनिज मोहरिर का पद तृतीय श्रेणी का पद होने के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आता है और भर्ती उक्त आयोग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति को नियमित पद पर स्थायी होने का कोई अधिकार नहीं है; इसलिए, यह आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है। दिनांक 17.06.2016 के विवादित निर्णय और आदेश की समीक्षा हेतु एक आवेदन रिट याचिका संख्या 14277 (एस/एस) 2016 में प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 28.07.2016 को उपरोक्त निर्णय की समीक्षा करते हुए एक आदेश पारित किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने से पहले उनकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। यह भी स्पष्ट किया गया था कि न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, जो अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं बनेगा।

4. यह तर्क दिया गया है कि विभाग में सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों को नियमित पदों पर समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, एक ऐसा पहलू जिसे माननीय रिट न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि विशेष अपील संख्या 396/2025 में नौ व्यक्तियों और संबंधित विशेष अपील संख्या 395/2025 में तीन व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य कोई भी व्यक्ति 2016 के बाद से कार्यरत नहीं है और उन्होंने केवल लगभग दो वर्षों तक ही काम किया है।

6. प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा आदेश में ही उनके समायोजन पर विचार करने के लिए शर्तें रखी गई हैं; इसलिए, अपीलकर्ता यह देखने के लिए स्वतंत्र हैं कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता उन योग्यताओं और शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।

7. हम प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को सेवा प्रदाता के माध्यम से केवल एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया था, जब तक कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित भर्ती द्वारा नियमित पदों को भरा नहीं जाता। प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को ऐसे किसी भी नियमित पद पर स्थायी नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। खनिज मोहर्रिर, चालक और चपरासी के पदों पर सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाले नियमों में सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त ऐसे कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और न ही ऐसा कोई प्रावधान दिखाया गया है। यहां तक कि सेवाओं के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए भी, राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर नियम बनाए गए हैं और ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिनके तहत प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं पर विचार किया जा सके। इसलिए हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने रिट याचिका को स्वीकार करने और फिर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समीक्षा कार्यवाही में उपरोक्त उल्लेखित एक अन्य आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

8. तदनुसार हम अपील को स्वीकार करते हैं और दोनों विवादित आदेशों को रद्द करते हैं। रिट याचिका और समीक्षा आवेदन खारिज किए जाते हैं।

9. हमारा आदेश किसी भी प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की सेवा निरंतरता में बाधा नहीं बनेगा, यदि वे अभी भी कार्यरत हैं और भविष्य में ऐसे कोई नियम हैं जिनके तहत ऐसे व्यक्तियों को नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, तो हमारा आदेश ऐसे विचार में बाधा नहीं बनेगा।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन राय)

18 मार्च, 2026

शुभांकर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।